कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. राँची

पत्रांक 3057 / 20/8/26

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी आर०टी०ई०,
राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,
निजी विद्यालय
जिला– राँची।

विषयः RTE Act की धारा 12 (1) (C) के तहत प्रवेश कक्षा के 25% सीटों पर लॉटरी में चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (C) के तहत् मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25% सीटों पर अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं का सत्र 2026–27 में निःशुल्क नामांकन हेतु दिनांक 19.08.2026 को द्वितीय चरण की आयोजित लॉटरी में चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन की सूची पोर्टल **www.rteranchi.in** में आपके लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि–

i. आपके लॉगिन में उपलब्ध कराये गये लॉटरी में चयनित सूची के अभ्यर्थियों अभिभावक से संपर्क स्थापित करते हुए 14 दिनों के अंदर अनिवार्य रुप से नामांकन की प्रक्रिया नियमानुसार आवश्यक जाँचोपरांत (प्रमाण–पत्र, दूरी आदि) पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

ii. विद्यालय अभिलेख के लिये पोर्टल से संबंधित बच्चों का आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेज डाउनलोड कर संधारित रखेंगे।

iii. नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित सूचना पोर्टल पर नामांकन की तिथि, Admission No. इत्यादि के साथ अंकित करेंगे।

iv. किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक रुप से नामांकन की प्रक्रिया को स्थगित (Hold) नहीं रखेंगे।

v. संबंधित निजी विद्यालय के प्राचार्य को निदेश दिया जाता है कि नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक रूप से संसूचित करेंगे।

विश्वासभाजन

20/08/26

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी, आर०टी०ई०,
राँची।

ज्ञापांक 3057 /राँची, दिनांक 20.8.26

प्रतिलिपि : संबंधित निजी विद्यालय से टैग सी.आर.पी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि ससमय नामांकन की कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि ससमय नामांकन की कार्य पूर्ण कराने हेतु अपने स्तर से संबंधित सी.आर.पी./बी.आर.पी. को निदेशित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : उपायुक्त राँची की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

20/08/26

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी, आर०टी०ई०,
राँची।